



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

10
6/11/88

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 18, 1988/फाल्गुन 28, 1909
No. 126] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 1988/PHALGUNA 28, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1988

अधिसूचना

सा. का. नि. 353 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873
(1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शाकघर सावधि

जमा नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर सावधि जमा (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के नियम 4 में, उप नियम (2) के नीचे की सारणी में, "ग" संस्थागत लेखा "शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 5 क के सामने, स्तंभ 3 में "कोई बैंककारी कंपनी (सहकारी को छोड़कर)," शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "कोई कम्पनी" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 7/20/85- एन. एस.]

के. एम. शास्त्री, अपर सचिव

टिप्पण —मूल नियम, मा. का. नि. 664 (अ) तारीख 17-12-1981 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका मा. का. नि. 300 (अ) तारीख 1-4-82, सा. का. नि. 257 (अ) तारीख 11-3-83, सा. का. नि. 418 (अ) तारीख 10-5-85, सा. का. नि. 193 (अ) तारीख 12-2-86, सा. का. नि. 362 (अ) तारीख 1-4-87 और सा. का. नि. 1005 (अ) तारीख 23-12-87 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th March, 1988

NOTIFICATION

G. S. R. 353 (E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Time Deposit Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Time Deposit (Amendment) Rules, 1988.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 4 of the Post Office Time Deposit Rules, 1981 in the Table below sub-rule (2), under the heading "C-Institutional Accounts", against Sl. No. 5A, in column 3, after the words and brackets "a banking company (excluding cooperatives)", the word "Company", shall be inserted.

[F. No. 7/20/85-N. S.]

K. S. SASTRY, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published vide GSR 664 (E) dated 17-12-1981 and subsequently amended vide GSR 300 (E) dated 1-4-1982, GSR 257 (E) dated 11-3-1983, GSR 418 (E) dated 10-5-1985, GSR 193 (E) dated 12-2-1986, GSR 362 (E) dated 1-4-1987 and GSR 1005 (E) dated 23-12-1987.

